न्यायालय न्याय निर्णयन अधि[redacted]तिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
115/2023 प्रा.पत्र/2025	30.10.2023	31.10.2025

सुरेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री धर्मचन्द जैन पुत्र श्री पदमचन्द जैन निवासी खुरथल रोड डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स पदमचन्द धर्मचन्द जैन खुरथल रोड डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक। पिनकोड–304504 मोबाईल नं0 8279263201
2–मैसर्स पदमचन्द धर्मचन्द जैन खुरथल रोड डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक। पिनकोड–304504

.....**अप्रार्थी**

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अप्रार्थी अनुपस्थित।

:–निर्णय–: दिनांक 31/10/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.06.2023 को समय 12:30 पी.एम. पर मैसर्स पदमचन्द धर्मचन्द जैन खुरथल रोड डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहॉ पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री धर्मचन्द जैन पुत्र श्री पदमचन्द जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स पदमचन्द धर्मचन्द जैन खुरथल रोड डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ दूध व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री धर्मचन्द जैन पुत्र श्री पदमचन्द जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री धर्मचन्द जैन पुत्र श्री पदमचन्द जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ./मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में गुड़, तेल, घी, मसालों के साथ–साथ दुकान की रैक में लगभग 10–12 पैकेट मूल पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 500–500 ग्राम पैक **धनिया पावडर (कोठारी ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री धर्मचन्द जैन पुत्र श्री पदमचन्द जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री धर्मचन्द जैन पुत्र श्री पदमचन्द जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि दुकान की रैंक में लगभग 10–12 पैकेट मूल पैक्ड अवस्था में प्रत्येक 500–500 ग्राम पैक मे से **धनिया पावडर (कोठारी ब्राण्ड)** जिसके बैंच नम्बर 125 एवं पैकिग की दिनांक फरवरी 2023 थी, में से 4 मूल पैक प्रत्येक 500–500 ग्राम वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **धनिया पावडर (कोठारी ब्राण्ड)** 4 मूल पैक प्रत्येक 500–500 ग्राम को खाकी कागज से लपेटकर नियमानुसार चार भाग तैयार कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–3714 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3714 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री धर्मचन्द जैन पुत्र श्री पदमचन्द जैन मैसर्स पदमचन्द धर्मचन्द जैन खुरथल रोड डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक ने बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/707 दिनांक 19.07.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एलएस/2469/एक्ट/2023/2482 दिनांक 28.06.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया **धनिया पावडर (कोठारी ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

विनियम 2011 के अनुसार **अवमानक(Substandard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी को जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए साथ ही अप्रार्थी को दूरभाष पर बार–बार उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया परन्तु अप्रार्थी अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी की ओर से कोई अभिभाषक/प्रतिनिधि भी उपस्थित नहीं हुए अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **धनिया पावडर (कोठारी ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **धनिया पावडर (कोठारी ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51(सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 50,000/– (अक्षरे पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अप्रार्थी को निर्णय की सूचना हेतु पत्र जारी हो। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31/10/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सांकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज